

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, अम्बेहकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रोसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(२६)उ.मै.छा./सान्याअवि/विशेष अभियान/2020-21/ २१९८

दिनांक : १८/९/२१

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2020-21 के लिए विभाग द्वारा संचाचिल छात्रवृत्ति योजनाओं यथा अनु.जाति, जनजाति, विशेष (अति) पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त धूमन्तुतजाति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा में विशेष अभियान चलाकर दिनांक ०१ अक्टूबर 2021 तक सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निरतारण करने हेतु “जीरो पैंडेंसी अभियान” प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थी स्तर, शिक्षण संस्थान एवं विभागीय के स्तर पर प्रदर्शित सभी आवेदन पत्रों को निम्नानुसार निर्धारित दिनांक तक निरतारण कर लंबित आवेदन पत्रों की संख्या को “जीरो” शुल्क किया जाना है। “जीरो पैंडेंसी अभियान” के तहत पुर्व में जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ ९(४)(२६)उ.मै.छा./सान्याअवि/विशेष अभियान/2020-21/2126 दिनांक 10.09.2021 जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन कर निम्नानुसार तिथि निर्धारीत की जाती है:-

क्र.	विवरण	पुर्व निर्धारित दिनांक	संशोधित तिथि
१	विद्यार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति कर आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान के माध्यम से वेरीफायर लेवल (स्वीकृतकर्ता विभाग) को अयोषित करने की अन्तिम दिनांक	१५ सितम्बर २०२१	२२ सितम्बर २०२१

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


 (ओ.पी. बुनकर)
 निदेशक एवं
 पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ ९(४)(२६)उ.मै.छा./सान्याअवि/विशेष अभियान/2020-21/ २१९८-२२१ दिनांक : १८/९/२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संरकृत, बीकानेर/जयपुर।
- निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
- विरिष्ट प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
- जिला कलेक्टर्स/कोपाधिकारी, (समर्त)।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समर्त.....।
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संगामीय संरकृत शिक्षा अधिकारी समर्त.....।

15. उपनिदेशक / सहायक निदेशक सान्याअवि समस्त
16. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
17. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
18. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संरथान समस्त.....।
19. संरथा प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
20. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
21. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
22. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
23. रक्षित पत्रावली।

३
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)